# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या 2168/2016.................................................जिला........सीकर.................................................

उनवान– राम[illegible]पाल पुत्र भंवरलाल अग्रवाल लोसल तहसील–दातांरामगढ़ सीकर बनाम उपपंजीयक सीकर व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.01.2017 | **एकलपीठ**<br>**श्री नत्थूराम–सदस्य**<br><br>प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री भवानी सिंह एवं अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी. ओझा उपस्थित।<br><br>प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से विद्ड्रा करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 28.12.2016 प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा एमेन्स्टी स्कीम के तहत पूर्ण राशि जमा कराना चाहता है, इसलिए प्रार्थी को बकाया राशि जमा कराने का आदेश प्रदान किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए न्याय हित में प्रार्थी को उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार राशि जमा कराने की शर्त पर निगरानी को विद्ड्रा करने की आज्ञा प्रदान करें।<br><br>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्ड्रा करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।<br><br>फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी **विद्ड्रा** करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 2168/2016/सीकर जरिये विद्ड्रावल (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।<br><br>आदेश सुनाया गया।<br><br>नत्थूराम<br>नत्थूराम<br>(सदस्य) | |